दिनांक: 14 मार्च, 2022 No. Met4-14/1/2020

घोषणा

भारत सरकार
खान मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है

भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से निम्नलिखित क्षेत्रों में 3 वर्ष की अवधि तक के लिए परियोजनाएं आमंत्रित की जाती हैं जिनका खनिज क्षेत्र, खनन और औद्योगिक अनुप्रयोगों के अनुप्रयुक्त और दीर्घकालिक पहलू पर सीधा प्रभाव पड़ता है:

2. खानों में अनुसंधान के महत्व वाले क्षेत्र

खनन में अनुसंधान को समर्थन देने के लिए महत्व वाले क्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

i. रणनीतिक दुर्लभ और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के लिए पूर्वेक्षण / अन्वेषण।
ii. नए खनिज संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए भूमि और गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण और खनन के लिए नई तकनीक का विकास।
iii. खनन विधियों में अनुसंधान। इसमें रॉक मैकेनिक्स, माइन डिजाइनिंग, खनन उपकरण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और खान सुरक्षा शामिल हैं।
iv. प्रक्रिया, संचालन, उप-उत्पादों की वसूली में दक्षता में सुधार और कमी विनिर्देश और खपत मानदंड।
v. निम्न श्रेणी और महीन आकार के अयस्कों का उपयोग करने के लिए धातु विज्ञान और खनिज लाभकारी तकनीकों में अनुसंधान।
vi. खदान अपशिष्ट, संयंत्र टेलिंग आदि से मूल्य वर्धित उत्पादों का निष्कर्षण।
vii. नए मिश्र धातुओं और धातु संबंधी उत्पादों आदि का विकास।
viii. कम पूंजी और ऊर्जा बचत प्रसंस्करण प्रणालियों का विकास करना।
ix. उच्च शुद्धता की सामग्रियों का उत्पादन।
x. खनिज क्षेत्र से जुड़े संगठनों के बीच सहकारी अनुसंधान।
xi. आधार रेखा भूविज्ञान डेटा उत्पन्न करने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के लिए नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास।

समर्थन पर विचार करने के लिए अतिरिक्त वेटेज निम्नलिखित स्थितियों में दिया जाएगा:

xii. संबंधित उद्योग के सहयोग से वैज्ञानिक/शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता।
xiii. उच्चतर प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल) वाले प्रस्तावों के लिए प्रोत्साहन, आदर्श रूप से उच्च शुद्धता सामग्री, उन्नत मिश्र धातु उत्पादों, अपशिष्ट उपयोग, स्लैग/टेलिंग से रिकवरी, रीसाइक्लिंग, शहरी खनन इत्यादि पर परियोजनाओं के लिए पायलट स्तर के संयंत्रों की ओर अग्रसर है।
xiv. अवधारणा के पूर्व-विकसित प्रमाण के साथ प्रस्तावों के लिए प्रोत्साहन।
xv. जीएसआई द्वारा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए गए भूविज्ञान डेटा के आधार पर खनिज जमा लक्ष्यीकरण।
xvi. अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान उनके साथ समन्वय में परियोजना प्रस्तावों को विकसित करने के लिए प्रयोगशाला सहायता के लिए सरकारी एजेंसियों तक पहुंच और सहयोग कर सकते हैं।
xvii. उत्पादों के विकास या सामग्रियों पर परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता, जिनमें आयात प्रतिस्थापन की संभावनाएं हैं।

2. वैज्ञानिक और तकनीकी योग्यता और उद्योग के लिए प्रासंगिकता

सभी संगठनों को मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए: –

i. यह प्रस्ताव खनन, अन्वेषण, खनिजों, धातु मूल्य संवर्धन, अपशिष्ट एवं खनन एवं धातुकर्म प्रसंस्करण के पर्यावरणीय प्रभाव के समग्र अधिदेश के लिए प्रासंगिक होना चाहिए
ii. उद्योग इनपुट और भागीदारी
iii. अवधारणा, विधि, नवाचार, या अनुप्रयोग के संदर्भ में मौलिकता;
iv. नई विधियों का विकास, उन्नत सामग्रियों का संश्लेषण,
v. प्रक्रिया में सुधार और नवाचार,
vi. उपकरण और अन्य अनुसंधान उपकरणों का डिजाइन,
vii. अपशिष्ट/माध्यमिक/निम्न श्रेणी की सामग्री वसूली के लिए प्रक्रिया विकास,
viii. शून्य अपशिष्ट खनन, बड़े डेटा विश्लेषण और सिमुलेशन मॉडलिंग आदि।
ix. प्रायोगिक, मॉडलिंग/सिमुलेशन और दोनों के रूप में अध्ययन की प्रकृति
x. प्रस्ताव में उद्देश्यों और सुपुर्दगी का स्पष्ट प्रतिपादन होना चाहिए
xi. अनुसंधान पद्धति का विवरण, प्रयोगों का डिजाइन, विश्लेषण के चुने हुए तरीके उपयुक्त और मान्य होने चाहिए।
xii. प्रस्ताव में अभिप्रेत/संभावित अनुप्रयोग क्षेत्र को स्पष्ट किया जाना है, उद्योग प्रासंगिक, यदि उपयुक्त हो तो उद्योग की भागीदारी को शामिल/शामिल किया जा सकता है।
xiii. पायलट संयंत्र के लिए संभावित मापनीयता और बाद में संयंत्र के स्तर पर एन तकनीकी आर्थिक लाभ (कम से कम मोटे अनुमान) क्या हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) परियोजनाओं का वित्तपोषण परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा समिति (पीईआरसी) द्वारा परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से खान मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है और अनुशंसित परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा गठित स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह (एसएसएजी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

नियम और शर्तों और निर्धारित प्रोफार्मा का विवरण सत्यभामा पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे research.mines.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है।

परियोजना प्रस्तावों को 15.04.2022 तक केवल सत्यभामा पोर्टल (research.mines.gov.in) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। पोर्टल पर एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी उपलब्ध है जहां परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा, पीडीएफ प्रारूप में पोर्टल से उत्पन्न परियोजना प्रस्ताव की एक सॉफ्ट कॉपी ई-मेल met4-mines@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। पीआई को परियोजना प्रस्तावों की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक मोड में प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके पीआई को या तो भौतिक रूप से (दिल्ली में या भारत के किसी अन्य शहर में) या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा, जिसके बारे में उन्हें सूचित किया जाएगा। इसकी समय सीमा इस प्रकार है:

विवरण	**दिनांक**
सत्यभामा पोर्टल पर पीआई पंजीकरण और परियोजना प्रस्तुत करने की शुरुआत	18.03.2022
प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि	**15.04.2022**
प्रस्तावों की जांच	अप्रैल, 2022 के चौथे सप्ताह तक
पीईआरसी की बैठक का आयोजन	मई, 2022 के पहले सप्ताह तक

एसएसएजी की बैठक का आयोजन	मई, 2022 के तीसरे सप्ताह तक

सहायता अनुदान समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। संस्थान के प्रमुख कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के तहत किसी भी परियोजना के तहत कोई भी उपयोग प्रमाण पत्र उनके परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय से लंबित नहीं है।

अधिक प्रश्नों के लिए, कृपया हमें ईमेल करें: met4-mines@gov.in.